न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – राकेश कुमार न्योल आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 33 / 2021

दायर दिनांक :– 23 / 03 / 2021

निर्णय दिनांक :– 27 / 08 / 2025

अनवान

1. श्रीमति गीता पिता मोहनलाल पत्नि शम्भुलाल जाति गाडरी निवासी रघुनाथपुरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. श्रीमति काली माता भगवानी पिता गोपू पत्नि सम्पत जाति गाडरी निवासी लडपचा हाल निवासी जुणदा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. लादुलाल माता भगवानी पिता गोपू गाडरी निवासी लडपचा तहसील रेलमगरा नाबालिग जरिये वादमित्र गोपू पिता प्रताप जाति गाडरी निवासी लडपचा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

वादीगण

बनाम

1. लेहरू पिता किशना गाडरी निवासी सादडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. रामलाल उर्फ रामा पिता किशना गाडरी निवासी सादडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. देवीलाल पिता मांगु उर्फ मांगीलाल गाडरी निवासी सादडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
4. भैरूलाल पिता मांगु उर्फ मांगीलाल गाडरी निवासी सादडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
5. भंवरी विधवा मांगु उर्फ मांगीलाल गाडरी निवासी सादडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
6. शम्भुलाल पिता भुरा गाडरी निवासी सकरावास तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
7. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द
8. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा रेलमगरा

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

वादीगण की ओर से – श्री चावण्डसिंह शक्तावत अधिवक्ता

प्रतिवादीगण की ओर से – पेरोकार सरकार

दिनांक –27 / 08 / 2025

वाद बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

: : निर्णय : :

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक्टर

(उप खण्ड अधिकारी)

रेलमगरा

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा के प्रस्तुत किया कि ग्राम सादडी तहसील क्षैत्र रेलमगरा में आराजी संख्या 895, 896 कुल किता–02 कुल रकबा 0.9632 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 897, 898, 906, 907 कुल किता– 04 कुल रकबा 1.5945 हैक्टेयर कृषि भूमियां स्थित है। वादपत्र की कलम सं. 01 मे वर्णित भूमियों में बद्रीलाल पिता मोहन का हिस्सा 19/476 था बद्रीलाल की निःसंतान मृत्यु हो चुकी हैं। बद्रीलाल के पिता मोहनलाल की मृत्यु 18 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। मोहन के उत्तराधिकारीगण बद्रीलाल भगवानी व गीता है जिसमें बद्रीलाल भगवानी दोनो की मृत्यु हो चुकी हैं। बद्रीलाल का कोई उत्तराधिकारी नही है एवं भगवादी के पुत्री काली व पुत्र लादुलाल है मांगीलाल पिता कृष्णा की भी मृत्यु हो चुकी है जिससे मांगीलाल के वारिसान में से मांगीलाल की विधवा भंवरी है तथा पुत्र देवीलाल व भैरूलाल हैं। राजस्व अभिलेख में देवीलाल पुत्र मांगु एवं भैरूलाल पुत्र मांगु के नाम नाबालिग के रूप में दर्ज है किन्तु वे 10 वर्ष पूर्व बालिग हो चुके हैं। स्वर्गीय कृष्णा का वंश वृक्ष वाद पत्र में अंकित है। वादपत्र की कलम सं. 01 में वर्णित भूमियों में वादीगण का 19/476 वां हिस्सा है जिसमें आधे हिस्से में गीता है एवं आधे हिस्से में काली व लादूलाल हैं। बद्रीलाल पुत्र मोहन की मृत्यु हो चुकी है उसके प्रथम श्रेणी के कोई वारिस नही है जिससे मोहनलाल के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारीगण भगवानी व गीता बने। मोहन की मृत्यु 18 वर्ष पूर्व व भगवानी की मृत्यु 6 वर्ष पूर्व हो चुकी हैं। जिससे भगवानी के उततराधिकारी काली व लादुलाल हैं। कृष्णा के पुत्र मांगीलाल की मृत्यु हो चुकी है व मांगीलाल उर्फ मांगु के वारिस देवीलाल, भैरूलाल व भंवरी हैं। वादपत्र की कलम सं. 01 में वर्णित भूमियों में प्रतिवादीगण देवीलाल, भैरूलाल व भंवरी का 3/12 वां हिस्सा है एवं रामलाल पिता कृष्णा का एक हिस्सा 25/238 वां है एवं दुसरा हिस्सा 1/4 हैं। प्रतिवादी लेहरू पिता कृष्णा का 1/4 हिस्सा हैं। एवं शम्भुलाल पिता भुरा का 25/238 वां हिस्सा हैं। वादपत्र की कलम सं. 02 में वर्णित भूमियों में प्रतिवादीगण देवीलाल, भैरूलाल व भंवरी का 3/12 वां हिस्सा है अर्थात 1/4 हिस्सा हैं। वादीगण का सुयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा है जिसमें वादीया गीता का 1/8 हिस्सा व वादीगण काली व लादुलाल का 1/8 हिसा है। रामा पिता कृष्णा का 1/4 व लेहरू पिता कृष्णा का भी 1/4 हिस्सा हैं। वादीगण काली, लादुलाल के मामा बद्रीलाल व वादीया गीता का भाई बद्रीलाल की मृत्यु होचुकी हैं। वादपत्र की कलम सं. 01 व 02 में वर्णित भूमियों में वादीगण के सहखातेदारी के अधिकार मोहन के ही अस्तित्व में आ चुके है। जिससे राजस्व अभिलेख में से बद्रीलाल पिता मोहन का नाम विलापित फरमाया जावें एवं मोहन के उत्तराधिकारीगण के रूप में वादीगण के खातेदारी की धोषणा फरमाई जावें। वादीगण के खातेदारो की घोषणा के साथ ही वादग्रस्त भूमियों में विभाजन का भी अनुतोष चाहा गया हैं। भूमियो का विभाजन के बिना विकास संभव नही है भूमियों के विकास के लिए विभाजन अत्यन्त आवश्यक हैं। जिससे वादपत्र में धोषणा के साथ विभाजन का भी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

अनुतामष चाही जा रहा हैं। वादग्रस्त भूमियों में वादीगण के खातेदारी अधिकारो की घोषणा के साथ ही भूमियों का विभाजन करवाया जाकर वादीगण के स्वतंत्र आधिपत्य दिलाया जावें एवं राजस्व अधिलेख में स्वतत्रं अंकन कराया जावें। उक्त प्रकरण में भूमिधारक विभाजन के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से प्रतिवादी बनाया गया हैं। वादीगण का वाद हेतुक दिनांक 01/02/2021 को जब वादग्रस्त भूमियों में वादीगण के खातेदारी अधिकारों व विभाजन हेतु कहा गया तो प्रतिवादीगण ने अपनी असमर्थता प्रकट की कि वादीगण जब तक खातेदारी अधिकारो की धोषणा ना करवा ले तब तक विभाजन संभव नही है जिससे वादीगण की ओर से उक्त वादपत्र प्रस्तुत करने का हेतुक दिनांक 01/02/2021 को ग्राम सादडी में उम्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। खातेदारी अधिकारो की घोषणा में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई अवधि निर्धारित नहीहै जिससे वादीगण का वाद अन्दर अवधि माना जावें। **अतः प्रार्थना है कि** वादपत्र की कलम सं. 01 व 02 में वर्णित भूमियों में वादीगण के हिस्से अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा फरमाई जावें एवं घोषणा के साथ ही मिटस एण्ड बोडस पद्वति के आधार पर विभाजन करवाया जाकर वादीगण को स्वतत्रं आधिपत्य दिलाया जाकर राजस्व अभिलेख में स्वतंत्र अंकन कराया जावें। विभाजन के पश्चात प्रतिवादीगण वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा,हस्तक्षेप कारित न करे इस बाबत स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रदान करावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 08 के विरूद्व कोई दाद नही चाही गयी है।

वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में पीडब्ल्यू–01 काली का शपथ पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी खाता संख्या 176 की नकल प्रदर्श–01 व जमाबन्दी खाता संख्या 177 की नकल प्रदर्श–02 के प्रस्तुत किये गये।

अधिवक्ता वादीगण की एक तरफा बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि वादीगण ने वादग्रस्त भूमियों के खातेदार बद्रीलाल पिता मोहनलाल की लाऔलाद मृत्यु होना बताया जाकर वादीगण को उनके वारिसान होना बताया किया गया है जिसका प्रतिवादीगण द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान कोई खण्डन नही किया गया है साथ ही बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश भी हो चुके है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा वादपत्र में अंकित सजरे अनुसार अपने वादपत्र को सिद्व करने में सफल रहे है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

: : आदेश : :

अतः वादीगण का आंशिक रूप से वाद बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा व विभाजन का स्वीकार किया जाकर ग्राम सादडी तहसील क्षैत्र रेलमगरा स्थित वादग्रस्त आराजी संख्या 895, 896 कुल किता–02 कुल रकबा 0.9632 हैक्टेयर भूमियों में बद्रीलाल पिता मोहन का नाम विलोपित किया जाकर उसके हिस्से का वादीगण को संयुक्त रूप से 19/476 वॉ हिस्से तक एवं आराजी संख्या 897, 898, 906, 907 कुल किता– 04 कुल रकबा 1.5945 हैक्टेयर भूमियों में बद्रीलाल पिता मोहन का नाम विलोपित किया जाकर उसके हिस्से में से वादी संख्या 01 को 1/8 हिस्से तथा वादी संख्या 02 व 03 को 1/8 हिस्से का खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाकर पक्षकारान के मध्य मिट्स एण्ड बोण्ड्स पद्वति के आधार पर विभाजन कराये जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा तहसीलदार रेलमगरा को निर्देशित किया जाता है कि वे समस्त उभय पक्षों (खातेदारों) को सूचित करते हुए पक्षकारान के मध्य मिट्स एण्ड बोण्ड्स पद्वति के आधार पर विभाजन कर विभाजन योजना मय नक्शा ट्रेस पृथक–पृथक रंग भरे जाकर प्रस्तुत करें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। इसी अनुसार प्रारम्भिक डिक्री पर्चा कायम हो।

निर्णय आज दिनांक 27/08/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

(राकेश कुमार न्योल)
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

मूलवाद मे डिकी (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार न्योल, आर०ए०एस०)

राजस्व वाद संख्या :– 33/2021

वादीगणपक्ष–

1. श्रीमति गीता पिता मोहनलाल पत्नि शम्भुलाल जाति गाडरी निवासी रधुनाथपुरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. श्रीमति काली माता भगवानी पिता गोपू पत्नि सम्पत जाति गाडरी निवासी लडपचा हाल निवासी जुणदा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. लादुलाल माता भगवानी पिता गोपू गाडरी निवासी लडपचा तहसील रेलमगरा नाबालिग जरिये वादमित्र गोपू पिता प्रताप जाति गाडरी निवासी लडपचा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण पक्ष–

1. लेहरू पिता किशना गाडरी निवासी सादडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. रामलाल उर्फ रामा पिता किशना गाडरी निवासी सादडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. देवीलाल पिता मांगु उर्फ मांगीलाल गाडरी निवासी सादडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
4. भैरूलाल पिता मांगु उर्फ मांगीलाल गाडरी निवासी सादडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
5. भंवरी विधवा मांगु उर्फ मांगीलाल गाडरी निवासी सादडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
6. शम्भुलाल पिता भुरा गाडरी निवासी सकरावास तहसील रेलमगरा जिलाराजसमन्द
7. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द
8. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा रेलमगरा

दावा :– खातेदारी अधिकारों की घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित –

वादीगण की ओर से – श्री चावण्डसिंह शक्तावत, अधिवक्ता

प्रतिवादीगण की ओर से – पेरोकार सरकार

में इस आशय मे दिनांक 27/08/2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादीगण का आंशिक रूप से वाद बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा व विभाजन का स्वीकार किया जाकर ग्राम सादडी तहसील क्षैत्र रेलमगरा स्थित वादग्रस्त आराजी संख्या 895, 896 कुल किता–02 कुल रकबा 0.9632 हैक्टेयर भूमियों में बद्रीलाल पिता मोहन का नाम विलोपित किया जाकर उसके हिस्से का वादीगण को संयुक्त रूप से 19/476 वॉ हिस्से तक एवं आराजी संख्या 897, 898, 906, 907 कुल किता– 04 कुल रकबा 1.5945 हैक्टेयर भूमियों में बद्रीलाल पिता मोहन का नाम विलोपित किया जाकर उसके हिस्से में से वादी संख्या 01

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

को 1/8 हिस्से तथा वादी संख्या 02 व 03 को 1/8 हिस्से का खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाकर पक्षकारान के मध्य मिट्स एण्ड बोण्ड्स पद्वति के आधार पर विभाजन कराये जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा तहसीलदार रेलमगरा को निर्देशित किया जाता है कि वे समस्त उभय पक्षों (खातेदारों) को सूचित करते हुए पक्षकारान के मध्य मिट्स एण्ड बोण्ड्स पद्वति के आधार पर विभाजन कर विभाजन योजना मय नक्शा ट्रेस पृथक–पृथक रंग भरे जाकर प्रस्तुत करें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें।

आज दिनांक 27/08/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(राकेश कुमार न्योल)
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा